न्यायालय, जिला न्याायाधीश–प्रथम, पटना

निरसन वाद संख्या–01 / 2007

आदेश

27.05.2026 वादी एवं प्रतिवादी संख्या–2 की पैरवी है। इस वाद में प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 10.02.2026, जिसका प्रत्युत्तर वादी के दिनांक 18.05.2026 को दिया गया है। आवेदन उपरोक्त पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभिलेख पर आए तथ्यों के अनुसार इस मामले को Dismissed on default कर दिया गया था, लेकिन मामले को दिनांक 05.08.2024 को पुनजीर्वित किया गया है। प्रतिवादी संख्या–2 को मुहल्ले के लोगों से निरस्तीकरण मामले की बहाली के बारे में पता चलने पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 13.10.2025 को अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हो गया। प्रतिवादी एक किसान है और अपनी आजीविका के लिए खेती का काम करता है, इसलिए वह अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर सका और प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से इस मामले में उचित कार्यवाही नहीं की गई। इसी क्रम में इस विद्वान न्यायालय द्वारा मामले की एकपक्षीय सुनवाई हेतु दिनांक 05.01.2026 को आदेश किया गया है। उसके द्वारा जानबुझकर लापरवाही नहीं बरती गई है। प्रतिवादी संख्या–2 इस मामले में शर्त का पालन करने और उचित पैरवी करने के लिए तैयार है। उनका आगे कथन है कि इस मामले में गवाह संख्या–1 रीता देवी की जांच 20.01.2026 को की गई है और उन्हें बिना जिरह किए उन्मोचित कर दिया गया है। अतः निवेदन है कि दिनांक 05.01.2026 के पारित एकपक्षीय आदेश को वापस लेते हुए मामले में उचित अवसर प्रदान किया जाए।

वादी के द्वारा प्रतिवादी के उपरोक्त प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा गया है कि दिनांक 05.01.2026 के आदेश को वापस लेने के लिए दाखिल कियाग या आवेदन पोषणीय नहीं है। विपक्षी पक्ष ने जानबूझकर इस मामले में उपस्थित होने में परहेज किया है। उनका आगे कथन है कि इस निरस्तीकरण मामले की बहाली के उपरांत विपक्षी पक्षों को नजारत एवं डाक के माध्यम से समन जारी किया गया था, लेकिन वे उपस्थिति से बचते रहे। तदुपरांत वादी ने विपक्षियों का नाम दिनांक 05. 12.2025 को दैनिक समाचार पत्र में॒काशित करवाया, फिरभी वे उपस्थित नहीं हुए। अंततः इस मामले की एकपक्षीय सुनवाई हेतु दिनांक 05.01. 2026 को आदेश किया गया है। उनका आगे कथन है कि इस मामले में प्रतिवादी संख्या–2 केवल उपस्थित हुए हैं अन्य विपक्षी कार्यवाही पर

नजर रखे हुए हैं। प्रतिवादी संख्या–2 अपने जानबूझकर किए गए कृत्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। अतः प्रतिवादी संख्या–2 की ओर से दाखिल

लगातार

27.05.2026 उपरोक्त आवेदन को खारिज किया जाए।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात वाद अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह विदित होता है कि इस वाद में दिनांक 05.01.2026 को न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई का आदेश पारित किया गया है, जिसके पश्चात वादी के द्वारा एकपक्षीय साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया है, परन्तु अभिलेख पर समन का तामिला उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी का यह कहना कि उन्हें वाद की जानकारी नही थी न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आदेश दिनांक 05.01.2026 को रिकॉल करते हुए प्रतिवादीगण को वाद में कन्टेस्ट करने की अनुमति देना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है ताकि इस वाद के सभी बिन्दुओं का सम्यक एवं न्यायोचित निर्णय हो सके। अतः प्रतिवादी संख्या–2 की ओर दाखिल आवेदन दिनांक 10.02.2026 को 1,500 / – रुपए के खर्चे पर स्वीकार किया जाता है।

वाद दिनांक 03.06.2026 अग्रिम कार्रवाई हेतु।

लेखापित

(राकेश कुमार–1)
जिला न्यायाधीश–प्रथम

निर्णय / आदेश की तिथि	27.05.2026
निर्णय / आदेश आरक्षित करने की तिथि	–––
अपलोडिंग तिथि	27.06.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक